य संघ ! संघे शक्ति कलियुगे जय महासंघ !

झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ

JHARKHAND STATE ACCOUNTS CLERK ASSOCIATION

(झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोपगुट से सम्बद्ध)
प्रधान कार्यालय :– सिंचाई परिसर , बरमसिया , बी0 देवघर–814112

Speed post.

संयोजक
अविनाश कुमार मिश्र
मो0-9430369450

उप संयोजक
नीरज कुमार सिन्हा
मो0-9430049393

कोष प्रभारी
निरंजन कुमार सिन्हा
मो0-9431190578

क्षेत्रीय संयोजक
प्रहलाद बैठा
अनीश शाही
विजय कुमार निराला
अनवर सलाम
ब्रजेश कुमार झा
मुकेश कुमार सिंह

पत्रांक......18............ दिनांक..9|10|08...

श्री एस0 के0 एफ0 कुजुर
अध्यक्ष
श्री शिवशंकर तिवारी
सदस्य सचिव
फिटमेंट कमिटि, झारखंड, रांची
किसान प्रशिक्षण केन्द्र (राँची डेयरी)
सेक्टर–II, धुर्वा, रांची।

विषय :– फिटमेंट कमिटि के विचारार्थ कार्य विभागो के लेखा लिपिक के संबंध ज्ञापन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कार्य विभागो के लेखा लिपिक के सन्दर्भ में में निम्नांकित तथ्यों को सुसंगत अभिलेख के साथ फिटमेंट कमिटि के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सादर अनुरोध करना चाहेगी कि माँगों पर विस्तृत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ समय देने का कष्ट किया जाय :–

(1) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के परिपेक्ष्य में लेखा लिपिकों के पदों की संरचना :–

सर्वविदित है कि राज्य सरकार में लेखा लिपिक का पद विशिष्ट रूप से कार्य विभागों में सृजित है।

केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में यह पद वरीयता एवं पदोन्नति के साथ विभिन्न नामो से जाना जाता है यथा रेलवे में कनिष्ठ लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा निरीक्षक, वरीष्ठ लेखा निरीक्षक एवं इसी प्रकार वित्त मंत्रालय में अंकेक्षक, वरीय अंकेक्षक, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक अंकेक्षक पदाधिकारी आदि नामो से यह संवर्ग जाना जाता है।

झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ
JHARKHAND STATE ACCOUNTS CLERK ASSOCIATION
(झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोपगुट से सम्बद्ध)
प्रधान कार्यालय :– सिंचाई परिसर , बरमसिया , बी0 देवघर–814112

संयोजक
अविनाश कुमार मिश्र
मो0-9430369450

उप संयोजक
नीरज कुमार सिन्हा
मो0-9430049393

कोष प्रभारी
निरंजन कुमार सिन्हा
मो0-9431190578

क्षेत्रीय संयोजक
प्रहलाद बैठा
अनीश शाही
विजय कुमार निराला
अनवर सलाम
ब्रजेश कुमार झा
मुकेश कुमार सिंह

पत्रांक.....18............　　　　दिनांक..9।10।08....

(2)लेखा लिपिको के कार्य की जटिलता , राज्य सरकार की स्वीकारोक्ति एवं लेखा परीक्षा की उत्तीर्णता :–

(क) कार्य विभागो के लेखा लिपिक का कार्य प्रकृति काफी ही जटिल है। कार्य विभागो का लेखा लिपिक सरकार द्वारा लागू विभिन्न लेखा संहिताओ, नियमो एवं महालेखाकार / वित्त विभाग द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप लेखा संबंधी जटिल कार्य को सम्पादित करते हुए राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्य को नियमो एवं मापदंडो के अनुरूप पूरा करवाने में अपना अहम भूमिका निभाते है।**(ख) लेखा लिपिको के सदृश्य वेतनमान के लिए समाहरणालय लिपिको द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओ के क्रम में राज्य सरकार ने उनके दावे को अस्वीकार करते हुए लेखा लिपिक के ढ़ाँचा को पहले से ही अनुसचीवीय कर्मचारियों से अलग मान रखा है।**(वित्त विभागीय पत्रांक 5711 दि0 29.11.94 की कंडिका 5 द्रष्टव्य)

(ग) छठे वेतन आयोग के रिपोर्ट के पृष्ठ 209 के कंडिका "Accounts Staff" (Annexure - 1) में भी इस पद की विशिष्टता को स्वीकार किया जा चुका है जिसका कुछ अंश निम्न है:–

"Personnel belonging to the Organized Accounts Cadres not only have different duties but their Skill requirement is also higher. The Personnel belonging to Organized Accounts cadres have to compulsorily pass departmental examinations like SAS for promotion.

(घ) लेखा परीक्षा– वित्त विभागीय पत्रांक 660 दि0 08.02.99 के प्रभाव से लेखा लिपिको पर **प्रौन्नति के अलावा वार्षिक वेतन वृद्वि के मामले में भी लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की शर्त्त अधिरोपित कर दी गई है।**

(3) वेतन पुनरीक्षणो में लेखा लिपिक का वेतनमान

(क) कार्य विभागो के लेखा लिपिको के कठिन कार्य प्रकृति एवं वित्त विभागीय संविलयन आदेश पत्रांक 1876 दि0 30.12.81 के मद्देनजर लेखा लिपिको का वेतनमान सचिवालय सहायक के समान

संयोजक
अविनाश कुमार मिश्र
मो0–9430369450

उप संयोजक
नीरज कुमार सिन्हा
मो0–9430049393

कोष प्रभारी
निरंजन कुमार सिन्हा
मो0–9431190578

क्षेत्रीय संयोजक
प्रहलाद बैठा
अनीश शाही
विजय कुमार निराला
अनवर सलाम
ब्रजेश कुमार झा
मुकेश कुमार सिंह

पत्रांक......18........... दिनांक..14.10.08..

तृतीय वेतन पुनरीक्षण से **260–408** एवं चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण से **730–1080** का वेतनमान ही अंतिम रूप से प्रभावी रहा है।

(ख) वित्त विभागीय पत्र पत्रांक 6021 दि0 18.12.81 द्वारा 1.01.1986 के प्रभाव से **वरीय लेखा लिपिक 730–1080** का प्रतिस्थानी वेतनमान 1400–2300 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 781 दि0 08.02.96 द्वारा कनीय लेखा लिपिक 535–765 का प्रतिस्थानी वेतनमान 1200–1800 लागू किया गया।

(ग) वित्त विभागीय संकल्प सं0 660 दि0 08.02.99 के क्रम में वित्त विभाग बिहार के Memo No. 3435 (F2) Dt 08.06.1999 के SCHDULE –I के क्रमांक 18 एवं 19 के द्वारा **01.01.96 के प्रभाव से कनीय लेखा लिपिक(1200–1800) को 4000–6000 एवं वरीय लेखा लिपिक(1400–2300 / 2600) को 4500–7000 का वेतनमान स्वीकृत है।** (Annexure - 2)

(घ) माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय :– यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वित्त विभागीय संविलयन आदेश पत्रांक 1876 दि0 18.02.81 (Annexure - 11) के आलोक में C.W.J.C-5701/2004, (Annexure - 3) C.W.J.C-6542/2004, (Annexure - 4) C.W.J.C-15512/2001 (Annexure - 5) सहित अनेको याचिकाओ के निष्पादन के क्रम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लेखा संवर्ग के लिए 260–408 / 730–1080 / 1400–2300 / 4500–7000 से भिन्न न्यून वेतनमान को निरस्त किया जा चुका है।

(4) केन्द्र द्वारा 01.01.96 के प्रभाव से लेखा संवर्ग के वेतनमान में संशोधनः–

(क) उल्लेखनीय है **कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त वेतनमान(4000–6000 / 4500–7000) उस समय केन्द्र में लेखा संवर्ग के लिए लागू वेतनमान के आलोक में स्वीकृत किया गया था।** राज्य सरकार द्वारा लेखा लिपिको के लिए इस वेतनमान को लागू किए जाने के बाद केन्द्रीय मंत्रिपरिषद, (भारत सरकार) द्वारा दिनांक **19.02.03 को केन्द्रीय लेखाकर्मी समूह के वेतनमान को संशोधित करने के निर्णय के**

झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ

JHARKHAND STATE ACCOUNTS CLERK ASSOCIATION

(झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोपगुट से सम्बद्ध)

प्रधान कार्यालय :– सिंचाई परिसर , बरमसिया , बी0 देवघर–814112

संयोजक
अविनाश कुमार मिश्र
मो0–9430369450

उप संयोजक
नीरज कुमार सिन्हा
मो0–9430049393

कोष प्रभारी
निरंजन कुमार सिन्हा
मो0–9431190578

क्षेत्रीय संयोजक
प्रहलाद बैठा
अनीश शाही
विजय कुमार निराला
अनवर सलाम
ब्रजेश कुमार झा
मुकेश कुमार सिंह

पत्रांक.....18............. दिनांक...4|10|08...

क्रम में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्रांक **F.No.6/82/E.III (B)/ 91** दिनांक 28 फरवरी 2003 द्वारा 01.01.96 (Annexure - 6) के प्रभाव से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत केन्द्रीय लेखकर्मी समूह का वेतनमान संशोधित करने का आदेश जारी कर दिया।(आदेश द्रष्टव्य)

(ख) इसी क्रम में **रेल मंत्रालय ने भी** अपने पत्रांक S.No.PCV/364. No. PC-V/ 98 /I/ 11/23 RBE No. 48/2003 दिनांक 07 मार्च 2003 (Annexure - 7) द्वारा **लेखा संवर्ग** के विभिन्न वेतनमानो को **01.01.1996 के प्रभाव से संशोधित करते हुए कनिष्ढ़ लेखा सहायक को 4500 – 7000 एवं लेखा सहायक को 5500 – 9000 का वेतनमान स्वीकृत कर दिया।**(आदेश संलग्न) ***छठे वेतन आयोग के रिपोर्ट के पृष्ढ़ सं0 603 में भी इस संशोधन को स्वीकार किया गया है।***

(ग) उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय के **उपरोक्त पत्र** (पत्रांक F.No.6/82/E.III (B)/ 91 दिनांक 28 फरवरी 2003) **के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा सिर्फ एक पद ''अंकेक्षक'' का वेतनमान संशोधित किया जा चुका है** परन्तु कार्य विभागों के लेखा लिपिको के लिए ऐसाा संशोधन अभी तक नहीं किया गया है।(वित्त विभागीय पत्रांक 946 वि0 दि0 03.04.07 द्रष्टव्य) (Annexure - 8)

(घ) छठे वेतनमान लागु होने के पूर्व केन्द्र में **वरीय लेखा सहायक/वरीय अंकेक्षक का वेतनमान कार्य विभागो के प्रमंडलीय लेखापाल के वेतनमान के समान 5500–9000 रहा है। छठे वेतन आयोग ने प्रमंडलीय लेखापाल के लिए 5500–9000 के स्थान पर 6500–10500 की अनुशंसा किया है** एवं इसके अनुरूप ही पी0बी0–2 मे इन्हें 4200 का गेड पे अनुमान्य हुआ है।(छठें वेतन आयोग के रिपोर्ट की पृष्ढ़ सं0 605 द्रष्टव्य) (Annexure - 9)

(5) लेखा लिपिक के संबंध में संघ की मँागें :–

(1) कार्य विभागो के लेखा लिपिक का **नामाकरण लेखा सहायक** किया जाय।

(2) फिटमेंट कमिटि के **Trems of Reference** के कंडिका 4 के तहत केन्द्र के अनुरूप एवं राज्य के अंकेक्षक संवर्ग के वेतनमान

झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ

JHARKHAND STATE ACCOUNTS CLERK ASSOCIATION

(झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोपगुट से सम्बद्ध)

प्रधान कार्यालय :– सिंचाई परिसर , बरमसिया , बी0 देवघर–814112

संयोजक
अविनाश कुमार मिश्र
मो0–9430369450

उप संयोजक
नीरज कुमार सिन्हा
मो0–9430049393

कोष प्रभारी
निरंजन कुमार सिन्हा
मो0–9431190578

क्षेत्रीय संयोजक
प्रहलाद बैठा
अनीश शाही
विजय कुमार निराला
अनवर सलाम
ब्रजेश कुमार झा
मुकेश कुमार सिंह

पत्रांक.....18.............　　　　दिनांक...4|10|08...

संशोधन के क्रम में 01.01.1996 के प्रभाव से कनीय लेखा लिपिको का वेतनमान 4500–7000 एवं वरीय लेखा लिपिको का वेतनमान 5500–9000 किया जाय क्योकि इस सम्वर्ग को वर्त्तमान में केंद्रीय वेतनमान से कम वेतनमान मिल रहा है।

(3) 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्र के अनुरूप कनीय लेखा लिपिक को पी0बी0–1(5200–20200) में 2800 का ग्रेड पे एवं वरीय लेखा लिपिक को पी0बी0–2(9300–34800) में 4200 का ग्रेड पे के साथ वेतन निधरित किया जाय।

(4) वित्त विभागीय पत्रांक 6389 दिव 28.09.99 (Annexure - 10) का अनुपालन सुनिचिश्त करवाते हुए लेखा संवर्ग का पुर्नगठन किया जाय एवं इस पत्र के कंडिका 3 के उप कंडिका 2 एवं कंडिका 4 एवं विभिन्न न्याय निर्णयों के आलोक में संवर्ग पुर्नगठन के निर्णय संबंधी आदेश तक नियुक्त सभी लेखा लिपिक/कनीय लेखा लिपिक को वरीय पद का धारक माना जाय एवं तदनुसार नये वेतनमान(पी0बी–2) में वेतन निर्धारित करते हुए तदनुसार ए0सी0पी का आदि का लाभ दिया।(आदेश संलग्न)

(5) केन्द्र के अनुरूप 10, 20 एवं 30 वर्ष पर ए0सी0पी0 का लाभ देते हुए लेखा लिपिको को क्रमशः प्रमंडलीय लेखापाल(पी0बी0–2 , 4200 ग्रेड पे) , प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी ग्रेड–1(पी0बी0–2 , 4800 ग्रेड पे) एवं वरीय प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी(पी0बी0–3 ,5400 ग्रेड पे) के वेतनमान में ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाय।

(6) 1980 के दशक की भाँति लेखा लिपिको को प्रमंडलीय लेखापाल के 50 प्रतिशत पदो पर प्रदौन्नति दिया जाय। वर्त्तमान में प्रमंडलीय लेखापाल/लेखा पदाधिकारी के सारे पद महालेखाकार कार्यालय द्वारा भरे जा रहे है।

(7) केन्द्र की भाँति 01.01.2006 से आर्थिक लाभ देते हुए अन्य सभी सुविधाएँ यथा चिकित्सा , बोनस , शैक्षणिक भत्ता, परिवहन भत्ता आदि हु ब हू लागु की जाय।

(8) विभिन्न न्याय निर्णय के अनुरूप ए0सी0पी0 एवं वार्षिक वेतन वृद्वि के मामले में लेखा परीक्षा उत्तीर्णता समाप्त किया जाय। केवल पद प्रौन्नति के मामले में लेखा परीक्षा उत्तीर्णता लागू की जीय एवं लेखा

ज॰ संघ !　　संघे शक्ति कलियुगे　　जय महासंघ !

झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ

JHARKHAND STATE ACCOUNTS CLERK ASSOCIATION

(झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोपगुट से सम्बद्ध)

प्रधान कार्यालय :– सिंचाई परिसर , बरमसिया , बी0 देवघर–814112

संयोजक
अविनाश कुमार मिश्र
मो0–9430369450

उप संयोजक
नीरज कुमार सिन्हा
मो0–9430049393

कोष प्रभारी
निरंजन कुमार सिन्हा
मो0–9431190578

क्षेत्रीय संयोजक
प्रहलाद बैठा
अनीश शाही
विजय कुमार निराला
अनवर सलाम
ब्रजेश कुमार झा
मुकेश कुमार सिंह

पत्रांक......18...........　　दिनांक..04।10।08.

परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को अंतिम स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाय। वर्त्तमान में यह 60 प्रतिशत जारी है।

विश्वासभाजन

अविनाश कुमार मिश्र 04-10-08

(अविनाश कुमार मिश्र)
संयोजक
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ
e-mail-at- **jacoountsclerkassociation @rediffmail.com**
Mob- 9430369450
04-10-2008

पत्राचार का पता :–
अविनाश कुमार मिश्र
संयोजक
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ
गुण नियंत्रण प्रमंडल (जल संसाधन विभाग)
बरमसिया रोड , बी0 देवघर
पिन–814112 (झारखंड)